राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प धणा

पीठासीन अधिकारी– श्री महीपाल कुमार, R.A.S.

राजस्व वाद सं. : 93/2014
तारीख दायरा : 05.11.2014
तारीख निर्णय : 04.06.2016

वादी

कपूराराम पुत्र मगाजी ,
जाति मारू कुम्हार
निवासी लापोद, तह. सुमेरपुर
जिला–पाली

बनामः

प्रतिवादी

1. वरदाराम पुत्र पुनमाराम
2. सवाराम पुत्र पुनमाराम
3. रूपाराम पुत्र पुनमाराम
4. वरजू पत्नी पुनमाराम
5. कपूरा पुत्र भीकाजी
6. प्रभु पुत्र भीकाजी
7. स्व. छोगा पुत्र भीका के का.मु. वारिस
   7.1 शिवलाल पुत्र छोगाजी
   7.2 खीमाराम पुत्र छोगाजी
   7.3 अंशीदेवी पत्नी छोगाजी
8. सोहन पुत्र मगनाजी
9. मोहन पुत्र मगनाजी
   जातिगण – मारू कुम्हार
   निवासीगण – लापोद
   तहसील सुमेरपुर,
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी), सुमेरपुर ,जिला–पाली

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी व श्री अमृतलाल चौधरी।
2. प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री भवानीसिंह राठौड व श्री मुलसिंह देवडा।

–: निर्णय :–

निर्णय तिथि : 04.06.2016.

राजस्व वाद के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है :–

1. कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प धणा में बरोज पेश हुई। प्रकरण की वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध कतिपय प्रावधान के तहत उक्त प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा लापोद तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 247 रकबा 2.68 हैक्टर, खसरा नं. 250 रकबा 3.52 हैक्टर, कुल खसरा 02 (दो) कुल रकबा 6.20 हैक्टर, वार्षिक लगान रूपये 155.11 कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 05 व 09 के पैतृक पुश्तैनी संयुक्त कब्जा काश्त व हक अधिकार में आई हुई है। कृषि भूमि पर वादी का संवत 2037 से पूर्व समय से कब्जा कास्त चला आ रहा हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि गत सेटलमेन्ट सम्वत् 2037 से पूर्व प्रतिवादी संख्या 05 लगाय 07 के पिता भीखा पुत्र रूपाजी के 1/2 हिस्से में , व दला, वादी कपूराराम पिसरान मगाजी के 1/4 हिस्से की खातेदारी मे दर्ज थी जिस भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 लगाय 03 के पिता व चार के पति पुनमा पुत्र नथा का नाम दर्ज नही रहा है। लेकिन सेटलमेंट के दौरान प्रतिवादी संख्या 01 लगाय 04 के पूर्वज पुना पुत्र नथा ने बिना किसी आधार अधिकार के बिना सक्षम

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

लगातार पेज – 2

Scanned by CamScanner

न्यायालय के डिक्री या आदेश, बिना किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज के वादी के हक हिस्से व खातेदारी की कृषि भूमि के 1/4 हिस्से को अन्य प्रतिवादी संख्या 05 लगाय 09 के साथ खातेदारी में दर्ज करवा दिया गया। वादी द्वारा जमाबंदी संवत् 2026 से 2028 व संवत् 2064–67 की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न की हैं।

2. कि उक्त वर्णित भूमि में वादी ने वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 0 लगाय 04 की जगह अन्य प्रतिवादी संख्या 05 लगाय 09 के साथ राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज करवाने एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगाय 04 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित करने की इस्तदुआ की, साथ ही वादी ने अपने भाई दला के गुम होने के कारण उसके वादी पक्ष में दर्ज कराने का निवेदन किया है। जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. कि राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट धणा में तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर से वादग्रस्त भूमि बाबत् जबाव / राजस्व रेकर्ड व मौका अनुसार रिपोर्ट प्राप्त की गई , जिसके अनुसार ग्राम लापोद के भूमि खसरा नं. 247 रकबा 2.68 हैक्टर, खसरा नं. 250 रकबा 3.52 हैक्टर, कुल रकबा 6.20 हैक्टर भूमि गत खसरा नं. 178 रकबा 37.5 बिघा 4 बिस्वा से बने है। यह है कि भू–प्रबंध से पूर्व उपरोक्त खसरा नं. में खातेदार की स्थिति पटवारी हल्का लापोद व भू–अभिलेख निरीक्षक ढोला की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज करने के निर्देश तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर को दिये जाते है तथा खसरा नं. को जमाबंदी में दर्ज किये जाने के समर्थन में कोई नामांतरकरण, विक्रय, बक्शीश, वसीयत आदि रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है। वादी द्वारा भाई दला के लापता होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से उसका नाम वादी पक्ष में दर्ज नही किया जा सकता।

4. राजस्व लोक अदालत की भावना से प्रकरण को शीध्र निस्तारित करने की मंशा से पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य–दस्तावेजों के आधार पर एवं राजीनामा इबारत अनुसार सरहद मौजा लापोद की वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 247 व 250 कुल रकबा 6.20 हेक्टर में दला , कपूरा पि. मगीया के नाम 1/4 हिस्सा आ गया था, जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 लगााय 04 है। प्रतिवादीगण उक्त खसरान 247 व 250 में पुनः नाम शुद्धि करवाते हुए "दला, कपूरा पि. मगीया" कि हक में 1/4 हिस्सा दर्ज करवाने हेतु सहमत है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया । हमारे विधिक विचारों में वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् माफिक राजीनामा इबारत के अनुसार वादी का कथित वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के जरिये राजीनामा स्वीकार एवं डिक्री किया जाता हैं। तहसीलदार सुमेरपुर को निर्देशित किया जाता है कि वादी के लापता भाई दला के संबंध में आवश्यक जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प धणा खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर जिला–पाली (राज.)

Scanned by CamScanner